वर्ष १२ अंक ९३ पृष्ठ २ — २०-७-९५ मुरूवार — दैनिक जागरण

प्रशासन की ओर से मिनी गैस सिलेंडर निर्माताओं को एक माह पूर्व दी गयी चेतावनी का कोई असर नहीं

अवैध घोषित फैक्ट्रियों में सिलेंडरों का धड़ल्ले से उत्पादन जारी

(हमारे प्रतिनिधि)

मेरठ, १९ जुलाई। महानगर में कुकुरमुत्तों की तरह गली-मोहल्लों में फैली मिनी गैस सिलेन्डरों का निर्माण करने वाली सैकड़ों इकाइयों पर प्रशासन की ओर से एक माह पूर्व दी गयी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ है। जोड़-तोड़ में माहिर समझे जाने वाले इन इकाइयों के संचालकों ने चेतावनी को पूरी तरह नजर अन्दाज करते हुए आज तक न तो उनका जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराया है और न ही आई.एस.आई. और विस्फोटक विभाग के मानक को अपनाने में कोई रुचि दिखायी है। इसके बावजूद गैर कानूनी घोषित की गयी इन इकाइयों में मिनी गैस सिलेन्डरों का उत्पादन धड़ल्ले से जारी है।

महानगर में कई पुराने और भीतरी इलाकों में इस वक्त करीब एक हजार छोटी-बड़ी गैस सिलेन्डर बनाने की इकाइयां चल रही हैं। इन इकाइयों के जरिये करीब २० हजार मिनी गैस सिलेन्डरों का प्रतिदिन निर्माण किया जाता है। ये इकाइयां यहां कुकुरमुत्तों की तरह फैली हुई हैं। लेकिन इनमें से केवल एक इकाई को छोड़कर कोई भी आई.एस.आई. और विस्फोटक विभाग से स्वीकृत नहीं है। एक जानकारी आई. मार्क मिनी गैस-सिलेन्डरों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें हैदराबाद में कैबसंस, जम्मू-कश्मीर में हांडी, ग्वालियार में सूर्या, सिकंदराबाद में सुविधा और मेरठ में इन्डोटैक नामक कंपनिया ही आधिकृत रूप से मिनी गैस सिलेन्डर बना रही हैं।

जानकारी के मुताबिक, इन पांचों अधिकृत कम्पनियों में से प्रत्येक को ट्रेड टैक्स, सेल्स टैक्स और १५ प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी समेत करीब ७० हजार रुपये का भुगतान करना होता है। मिनी गैस सिलेंडर की इकाई स्थापित करने के लिए करीब ४५ लाख रुपये की लागत आती है। इन सिलेन्डरों की जांच १२ स्थानों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके बाद ही उपभोक्ता के लिए बाजार में उतारा जाता है। सूत्रों ने बताया कि आई.एस.आई. मार्का ४.४ कि.ग्रा. वजन के मिनी गेस सिलेन्डर के दाम बाजार में ३७५ रुपये हैं। जबकि गैर अधिकृत इकाई द्वारा निर्मित तीन कि.ग्रा. वजन का मिनी गैस सिलेन्डर बाजार में केवल डेढ़ सौ रुपये में ही मिल जाता है। गैर अधिकृत इकाइयों द्वारा तैयार मिनी गैस सिलेन्डर कपूर बजाज, ७८६ बजाज, क्वालिटी बजाज, सुपर बजाज, न्यू बजाज नामों से बेचे हैं।

इन गैर अधिकृत इकाइयों ने कुछ इस तरह का बाजार तैयार कर लिया कि उपभोक्ता आई.एस.आई. मार्का मिनी गैस सिलेन्डर खरीदने के बजाय इन इकाइयों द्वारा तैयार गैस सिलेन्डरों को खरीदता है। इसकी सीधी सी वजह उनका बेहद सस्ता होना है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सिलेन्डर किस तरह बनाया गया है और यह उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। प्रशासन महानगर में चल रही इन गैर अधिकृत इकाइयों के खिलाफ कई बार कार्रवाई करने की घोषणा कर चुका है। लेकिन आज तक इस बाबत कुछ नहीं हो सका है।

इसी सिलसिले में पिछले माह संयुक्त निदेशक (उद्योग) पश्चिमी क्षेत्र आर.के. भटनागर की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गयी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के ६०-७० प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

इस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिले में केवल एक इकाई ही आई.एस.आई. मानक के अनुसार कार्य कर ही है और वह जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत है। शेष इकाईयां पंजीकृत नहीं हैं और न ही आई.एस.आई. और विस्फोटक विभाग के मानक के अनुसार कार्य कर रही हैं। लिहाजा यह सभी इकाइयां गैर कानूनी हैं। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस तरह के गैर कानूनी कार्य करने वाली इकाईयां उपभोक्ताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसी गैर कानूनी मिनी गैस सिलेन्डर की इकाई को किसी भी तरह नहीं चलने दिया जा सकता।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया था कि इस सम्बन्ध में शासन के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उनकी मिनी गैस सिलेन्डर समिति बनाकर उनको सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। इन निर्देशों के अनुपालन में मात्र २२ निर्माताओं की ही समिति बनी। उन्होंने रजिस्ट्रार के यहां अपनी समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन कोई भी इकाई आई.एस.आई. विस्फोटक विभाग के मानक के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इससे उनके उत्पादन की मूल्य वृद्धि हो जायेगी।

इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग की ओर से प्रशासन को कई बार अनुरोध किया गया कि ऐसी गैर कानूनी कार्य करने वाली इकाइयों को तत्काल रूप से निलंबित किया जाये एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। उस वक्त बैठक में मौजूद निर्माताओं ने इस बात पर सहमति जतायी कि मिनी गैस सिलेन्डरों का निर्माण गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। निर्माताओं और ट्रेडर्स को निर्देशित किया गया कि वे कोई भी सब स्टैण्डर्ड अथवा मानक के विपरीत उत्पादन नहीं करेंगे। यदि कोई दुर्घटना होती है, तो इसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे।

पिछले माह हुई बैठक में यह तय किया गया था कि मिनी गैस सिलेन्डर निर्माताओं का एक संयुक्त सर्वे कराया जायेगा और यह सर्वे सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होगा। इसमें जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, मेरठ विस्फोटक विभाग बी.आई.एस., अग्निशमन अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा एसोसिएशन से नामित चार सदस्य होंगे। यह सभी अधिकारी मिनी गैस सिलेन्डर निर्माण करने वाली इकाइयों की जांच करके मानक सिद्ध करेंगे। इस तरह पात्र व्यक्ति ही उद्योग चला पायेंगे।

इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विस्फोटक विभाग को एक पत्र लिखकर यहां किसी अधिकारी को नामित करने को कहा जायेगा ताकि समय समय पर गैस सिलेन्डरों की जांच और तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा सके। यह चेतावनी दी गयी कि इसके बाद भी अगर कोई बाजार में अवैध रूप से मिनी गैस सिलेण्डरों की बिक्री करके उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्यवाही करेगा।

इस बैठक में जितने दावे किये गये, उतना कार्य नहीं हो पाया। कागजों पर कार्रवाई दर्ज करने के बाद मौके पर गैर अधिकृत निर्माताओं के खिलाफ अभियान छेड़ने की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार, मिनी गैस सिलेण्डरों का निर्माण करने वाली कुछ इकाइयां सिलेण्डरों की वैद्यता के लिए मानकों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। इस बाबत आवेदन किये गये हैं। जबकि मिनी गैस सिलेण्डर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि अगर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाये तो वे निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए प्रयास तेजी से करेंगे। बहरहाल, गैर अधिकृत इकाइयों द्वारा धड़ल्ले से मिनी गैस सिलेण्डरों का निर्माण जारी है।